

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना

संख्या...../पटना, दिनांक.....

चूंकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम -परांट, थाना -अमौर थाना न० 451, परगना-वाडौर, जिला -पूर्णिया सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् कोशी योजना अंतर्गत महानन्दा दायाँ तटबंध निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वांकित ग्राम - परांट, थाना न०-451 के भीतर भूमि का टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के 7.605 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अंश खेसरा सं० निम्नांकित है:-अर्जित अंश खेसरा संख्या:-24, 211, 63, 64, 65, 123, 124, 122, 125, 121, 126, 127, 128, 120, 119, 129, 130, 118, 131, 115, 114, 133, 134, 135, 136, 172, 171, 170, 194, 205 एवं 192, तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

चौहद्दी

-क-

उत्तर - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
पूरब - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
दक्षिण - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
पश्चिम- अंश खेसरा सं०:-24 एवं 211

चौहद्दी

-ख-

उत्तर - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
पूरब - अंश खेसरा सं० -64,65,122,121,120,119,118,115,114,133,135, 136, 172, 171, 170, 193, 194 एवं 205.
दक्षिण - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
पश्चिम- सीमा रेखा ग्राम-मडुआ अंश खेसरा सं०:-63, 62, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 115, 114, 133, 134, 136, 172, 171, 170, 193 एवं 192

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम, 11 जून संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा के कार्यालय में देखा जा सकेगा। अपर समाहर्ता, पूर्णिया/विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कोशी योजना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 (क) की उपधारा-(2) में यथा उपबन्धित या

P.T.O.

